वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत

संख्याः /XVII(2)/2007-09(25)/2006

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग देहरादूनःदिनांक 31 अगस्त, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 में सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के संचालन हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 599/XXVII(1)/2007 दिनांक 12 जुलाई, 2007 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभागान्तर्गत सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के सुचारू रूप से संचालन हेतु **रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व गत वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में शासनादेश संख्याः- 396(1)/XVII(1)-03/2006-09(25)/2006 दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 एवं 1168/XVII(1)-03/2005-09(10)/2005 दिनांक 31 अगस्त, 2005 द्वारा अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
5. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अंतर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।

10. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–15" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–03–सैनिक कल्याण–04–सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र स्थापना के मानक मद" 42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

11. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः– 313 (P)/वि0अनु0 –3/2007 दिनांक 30 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 296 (1)/XVII(2)/2007-09(25)/2006 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

310807 u04.pdf